पत्रांक-06/रा०बा०सं०स०(विविध)-11/2025- 65

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(राज्य बाल संरक्षण समिति)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 22.07.2026

विषय:- **राज्य सरकार द्वारा संचालित वर्तमान में संचालित 12 वृहद आश्रय गृहों, 23 पर्यवेक्षण गृह एवं 05 सुरक्षित स्थानों (कुल 40 गृहों) में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से एक-एक चार पहिया वाहन (24×7 चालक सहित) उपलब्ध कराने एवं इसके निमित ₹3,60,00,000/- (तीन करोड़ साठ लाख रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश : **स्वीकृत।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 तथा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत अनाथ, निराश्रित, परिवाविहीन, शोषण के शिकार बच्चें एवं विधि-विवादित बच्चों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु राज्य में विभिन्न प्रकार के गृह यथा वृहद आश्रय गृह, पर्यवेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान एवं विशेष गृह संचालित है। इन गृहों में आवासित बच्चों को समय-समय पर अस्पताल, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल न्यायालय, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में ले जाने हेतु वर्तमान में किसी प्रकार का चारपहिया वाहन उपलब्ध नहीं है।

2. उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में राज्य में संचालित/निकट भविष्य में संचालित होने वाले निम्नलिखित गृहों में आवासित बच्चों को अस्पताल ले जाने, न्यायालय में उपस्थापित करने एवं अन्य आपात स्थिति के लिए (24×7) प्रति गृह एक-एक चार पहिया वाहन आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से रू० 75,000/- प्रति माह प्रति वाहन (चालक का मानदेय एवं गाडी भाडा सहित) की दर से उपलब्ध कराने की स्वीकृति केवल एक वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

क्र०	**संस्थान**	**संख्या**	**वाहन**
1	वृहद आश्रय गृह	12	12
2	पर्यवेक्षण गृह	23	23
3	सुरक्षित स्थान	05	05
	कुल	40	40

3. वर्तमान में कुल संचालित 40 गृहों के लिए प्रति गृह प्रति वाहन रू० 75,000/- की दर से वितीय वर्ष 2026-27 में कुल रू० 3,60,00,000/- (तीन करोड साठ लाख रूपये) व्यय अनुमानित है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी माँग संख्या -51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष 102-बाल कल्याण, उप शीर्ष 0124-मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्य सरकार के अतिरिक्त व्यय, विपत्र कोड 51-2235021020124 के संगत विषय शीर्ष में उपलब्ध बजटीय उपबंध से किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें। निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर CFMS के माध्यम से राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-3758/वि० दिनांक-31.05.2017, पत्रांक-378/वि० दिनांक-16.01.2018, पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/ परिपत्रों के अनुसार किया जाएगा।

8. प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-06/रा०बा०सं०स०(विविध)-11/2025- के टिप्पणी पृष्ट संख्या 23-/टि0 पर दिनांक 21.07.026- को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 06/रा०बा०सं०स०(विविध)-11/2025 65 पटना, दिनांक- 22.07.2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/निदेशक, समाज कल्याण, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/लेखा शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अधीक्षक/अधीक्षिका, वृहद आश्रय गृह, पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित स्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-06/रा०बा०सं०स०(विविध)-11/2025 65 पटना, दिनांक- 22.07.2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-06/रा०बा०सं०स०(विविध)-11/2025 65 पटना, दिनांक- 22.07.2026

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

22/7/26

(सुशील कुमार)
संयुक्त सचिव।